

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

फार्म-VIII "क"

(भवन परमिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या-8 (4)

अनुमोदन संख्या CM-801/24-25 दिनांक 21-2-25 के संदर्भ में
श्रीमति/श्री श्रीमती रिपन रॉय पति श्री प्रवीण कुमार जिला-पूर्णियाँ के लिए

- (क) भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुनर्निर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

पूर्णियाँ नगर निगम पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सोजा - मधुबनी प्लॉट नं० 503 (सी0एस0) प्लॉट नं० (एम0एस0पी) खता संख्या 958 होलिंग संख्या 87 गाँव पूर्णियाँ मोहल्ला महिला नगर वार्ड नं० 03 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. भूमि/भवन का उपयोग आवासीय/व्यवसायिक के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।
3. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 321.22 मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.80 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
5. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा के अवश्य हो।
6. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णियाँ नगर निगमों/नगर/परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
9. योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
10. पूर्व से निर्मित भवन को तोड़कर 6 (छः) माह के अंदर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण नहीं करने पर स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

इसी शर्त के साथ मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।

11. कोई अन्य शर्त।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।